"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2008—पौष 28, शक 1929

भाग 4

विषय—सूची

भाग 4 (क)—निरंक
भाग 4 (ख)—निरंक

भाग 4 (ग)

अन्तिम नियम

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2008

क्र. एफ 1-26/2004/11/6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़

के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थायें (राजपत्रित) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थायें (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 है.

(2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषा**— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकार ;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 6 के अधीन ली गई परीक्षा ;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(च) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है, (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित आरक्षण प्रकोष्ठ) छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5 पच्चीस-4-84 दिनांक 26-12-84 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न सूची ;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
(अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां का वही अर्थ होगा जो उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में क्रमश: दिया गया है, तथा जिसे भारत शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित किया जाय.)

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थायें (राजपत्रित) सेवा.;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार एवं प्रयुक्ति**—छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति जो इन नियमों को प्रारंभ करते समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों ;

(2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों ; और

(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची एक में दिए गए उपबंधों के अनुसार होगा/होगी ;

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती करके ;

(ख) सेवा में सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ;

(ग) सेवाओं में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा.

(2) उपनियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के साथ अनुसूची दो में दर्शायी गई प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिसको या जिनको कि भर्ती में किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो भरे जाने के लिए अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके से भरे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक हो तो शासन का सा. प्र. वि., आयोग से परामर्श करने के बाद सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों से भिन्न जो उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट है, ऐसे किए गए अन्य तरीके अपना सकेगी, जिन्हें कि वह इस संबंध में जारी किए आदेश द्वारा विहित किए जायें.

(5) सेवा में भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के बाद ही की जाएगी अन्यथा नही.

8. **सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी शर्तें**—चयन किए जाने के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना चाहिए, अर्थात् :—

(1) आयु—

(क) उसने चयन प्रारंभ होने की तारीख की आगामी पहली जनवरी को, अनुसूची तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची तीन के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिकतम आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी. महिला अभ्यर्थियों की आयु उच्चतम आयु सीमा के साथ समस्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयु 10 वर्ष शिथिलनीय होगी. किन्तु विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जायेगा.

(ग) ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जावेगी.

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो छ. ग. का स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो एवं अन्य पद के लिये आवेदन कर

रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण— पद "छटनी" किया गया कर्मचारी से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या संघटक इकाईयों में से किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना (पंजीयन) कराने या शासकीय सेवा नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी की जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक हैं ऐसे व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना (पंजीयन) कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई थी या जिसे अधिशिष्ट घोषित कर दिया गया था :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन नियुक्त किए गए हैं.

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो और जिन्हें
   (क) अल्पावधि के वचनबद्ध पूर्ण हो जाने पर,
   (ख) भर्ती की शर्तों को पूर्ण कर लेने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया है.

(3) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी आते हैं, जिन्हें उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किया गया.

(4) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य कर लेने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया.

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लगने के कारणादि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे.

(पांच) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड अभ्यर्थियों को भी अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी.

(छः) अन्तर्जातिय विवाह छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारण प्रोत्साहन योजना नियम, 1984 के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण (पति-पत्नि) को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी.

(सात) शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं अभ्यर्थियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी.

(आठ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं अनायुक्त अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. उपर्युक्तानुसार छूट की सीमा 08 वर्ष की होगी अर्थात् ऐसी छूट देने पर संबंधित नगर सैनिक/अनायुक्त अधिकारी की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(नौ) छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारियों कौ अधिकतम आयु सीमा में 38 वर्ष तक की आयु सीमा तक छूट दी जाएगी.

(दस) उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट के संबंध में जारी निर्देश लागू होंगे.

टीप— नियम 8 (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों को चयन के योग्य माना गया हो यदि वे आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में वे आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जावेगी. विभागीय उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए नियुक्त प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए.

(2) **शैक्षणिक अर्हतायें**—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए, जो कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई हैं.

(3) **फीस**—उसे आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता**—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयत्न को आयोग द्वारा उनके चयन के लिए निरर्हकारी माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा**—चयन के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्य बात के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा आयोग द्वारा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसे आयोग ने प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी न किया हो.

11. **चयन द्वारा सीधी भर्ती**—

(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा/चयन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा, जिन्हें सरकार समय-समय पर आयोग के परामर्श से अवधारित करें.

(2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन आयोग द्वारा उनका साक्षात्कार करने के पश्चात् किया जाएगा.

(3) सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों में से 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हो, नियुक्ति पर विचार नियम 12 में विनिर्दिष्ट सूची में आए उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जावेगा. चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रेंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें आयोग द्वारा प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया हो उप नियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) सीधी भर्ती में 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे.

(7) सीधी भर्ती के पदों पर विकलांग उम्मीदवारों के लिये 6 प्रतिशत होरीजोन्टल पद आरक्षित रहेंगे.

(8) जहां, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कतिपय कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और लोक सेवा आयोग या किसी सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है. वहां लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव के शर्त को शिथिल कर सकेगी.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची—**

(1) आयोग अपने द्वारा निश्चित किए गए, मानकों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों की सूची जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, सरकार को भेजेगा. यह सूची सर्वसाधारण की सूचना के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में दिए गए नामों के क्रम से उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा.

(3) सूची में किसी उम्मीदवार का नाम सम्मिलित किए जाने संबंधी तथ्य ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि शासन ऐसी जांच करने के बाद जैसी कि वह आवश्यक समझे इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति—**

(1) पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें उससे संलग्न अनुसूची चार में उल्लेखित सदस्य होंगे. समिति में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होगा नहीं होने की स्थिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का रखा जायेगा.

(2) समिति की बैठक सामान्यतः एक वर्ष के अनाधिक के अंतरालों में होगी.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये माडल रोस्टर के अनुसार पदोन्नति होगी.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नतियों के लिये प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें—**

(1) समिति ऐसे सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जो उस वर्ष की एक जनवरी को उस पद पर जिनसे की पदोन्नति की जानी है चाहे वह स्थानापन्न या मूल रूप से उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों जितनी कि अनुसूची चार के कालम (4) में विनिर्दिष्ट है.

स्पष्टीकरण :- पदोन्नति के लिए पूर्व पात्रता हेतु रीति-संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग सेवा/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(2) पदोन्नति के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा नियम, 2003 के प्रावधान भी लागू होंगे.

(3) (क) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) अथवा जिनमें पदोन्नति अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो वहां सभी वर्गों के लिए कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा. केवल उतनी ही संख्या में लोक सेवकों के मामलों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जावेगा जो प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी.

(ख) उपनियम (3) (क) का प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जाएगा.

(4) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी.

15. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना—**

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हो तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के उपयुक्त समझे. यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा-निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची भी उपरोक्त कालावधि क दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की जायेगी.

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाएगा.

(3) इस प्रकार तैयार की गयी सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा.

(4) यदि इस प्रकार के चयन पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के दौरान यह प्रस्तावित किया जाय कि निम्नतर सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाय तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण को लेखबद्ध करेगी.

16. **चयन सूची—**

(1) आयोग शासन से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि उसमें वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा.

(2) यदि आयोग शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा शासन उस पर यदि कोई मत प्रकट करे तो उस पर ध्यान देते हुए ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा.

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची सेवा के सदस्यों की अनुसूची चार के कालम (2) में उल्लेखित पद से अनुसूची चार के कालम (3) में दर्शाये गये पद पर पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतया तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता. किन्तु उसके विधि मान्यता तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से आगे नहीं बढ़ाई जायेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की दशा में शासन के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

17. **आयोग से परामर्श—**

(1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची शासन द्वारा निम्नलिखित के साथ आयोग को भेजी जाएगी :—

(i) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख ;

(ii) (अनुसूची चार के कालम 2 में दर्शित) सेवा के ऐसे सभी सदस्यों के अभिलेख जिनका सूची में की सिफारिशों के अनुसार, अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो ;

(iii) (अनुसूची चार के कालम 2 में दर्शित) सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में समिति द्वारा लेखबद्ध किये गये कारण.

(2) यदि पदोन्नति समिति की बैठक में आयोग के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित आयोग के सदस्य अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे हों तथा बैठक के कार्यवाही विवरण पर समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के अनुमोदन के हस्ताक्षर हों तो ऊपर उप नियम (1) की कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा के वर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी संवर्ग से की जायेंगी जिस क्रम से ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में हों.

(2) साधारणतया उस व्यक्ति को, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व, विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट उत्पन्न न हो गई हो जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो.

19. **परिवीक्षा**—सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जायेगा.

20. **निर्वचन**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर की उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण**—इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जावेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसको कि यह नियम लागू होते हों, ऐसे रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उसको उचित और न्याय संगत प्रतीत होती हो ; परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति**—इन नियमों में कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन और व्यावृत्ति**— इन नियमों के तत्स्थानी और उनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण संख्या (3)	वेतनमान (4)	टिप्पणियां (5)
1. पंजीयक	1	छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थायें राजपत्रित सेवा श्रेणी-1	वेतन वर्तमान रु. 12000—375—16500	
2. उप पंजीयक	1	,,	रु. 10000—325—15200	
3. सहायक पंजीयक	3	श्रेणी-2	रु. 8000—275—13500	

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

भरती का तरीका

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	पदों की कुल संख्या (3)	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत सीधी भरती द्वारा (4)	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (5)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (6)
वाणिज्य एवं उद्योग	पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें राजपत्रित सेवा				
	श्रेणी-एक		प्रतिशत	प्रतिशत	
	(1) पंजीयक	1	-	100	पदोन्नति/संवर्ग वेतनमान में प्रतिनियुक्ति.
	(2) उप पंजीयक	1	-	100	
	श्रेणी-दो				
	(1) सहायक पंजीयक	3	-	100	सेटअप में पदोन्नति अंकित है.

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाणिज्य एवं उद्योग	छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं, राजपत्रित सेवा **श्रेणी-दो** सहायक पंजीयक	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/टेक्नॉलाजी या इंजीनियरिंग की उपाधि सम्मिलित है. वाणिज्य या कृषि में से स्नातक उपाधि द्वितीय श्रेणी में.	

अनुसूची-चार

(नियम 13 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिस पद से पदोन्नति की जायगी	उस पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जावेगी	पदोन्नति हेतु सेवा की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वाणिज्य एवं उद्योग	फर्म्स एवं संस्थायें राजपत्रित सेवा			
	श्रेणी-एक उप पंजीयक	पंजीयक	पांच वर्ष	1. मुख्य सचिव-अध्यक्ष 2. वरिष्ठतम सचिव, छ. ग. शासन-सदस्य. 3. संबंधित विभाग के सचिव या विशेष सचिव-सदस्य.
	श्रेणी-दो 1. सहायक पंजीयक	उप पंजीयक	पांच वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम-निर्देशित आयोग के सदस्य-अध्यक्ष. 2. संबंधित विभाग के सचिव-सदस्य. 3. संबंधित विभागाध्यक्ष-सदस्य.
	2. निरीक्षक	सहायक पंजीयक	पांच वर्ष	

Raipur, the 10th January 2008

No. F 1-26/2004/11/6.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following Rule relating to the recruitment to the Chhattisgarh Firms and Societies (Gazetted) Services, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement—**

(1) This rule may be called the Chhattisgarh Firms and Societies (Gazetted) Service Recruitment Rule 2007.

(2) It shall come into force with effect from the date of its Publication in the "Official Gazette".

2. **Definition**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government.

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission ;

(c) "Examination" means the examination taken under Rules 6 ;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;

(f) "Other Backward Classes" means the Other Backward Class of the citizens as specified in the Notification No. F-8-5 twenty five- 4-84 dated 26-12-84 of the Chhattisgarh Government, General Administration Department (Reservation cell and amended by the State Government from time to time) :

(g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules ;

(h) "Scheduled Caste" means the Scheduled Caste as specified in relation to this state under article 341 of the constitution of India.

(i) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribe as specified in relation to this state under article 342 of the Constitution of India.

(j) "Service" means the Chhattisgarh Firms and Societies (Gazetted) Service ;

(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Condition of Service) Rules 1961, it shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service**—The service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons, who at the commencement of this rule are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule- I.

(2) Persons recruited to, the service before the commencement of this rule, and ;

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these Rules.

5. **Classification, Scale of Pay, etc**—The classification of service, number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment—**

(1) Recruitment to the service, after the commencement of these Rules shall be made by the following methods, namely :—

(a) Direct recruitment by competitive examination/selection.

(b) By promotion of members of the service.

(c) By transfer/deputation of persons appointed on the specified posts in the sevice.

(2) The number of person recruited under clause (b) or clause (c) of sub rule (i) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these Rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recritment and the number of person to be recruited by each method shalll be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (i), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government General Administration Department may after prior consultation with the Commission shall adopt such methods of recruitment to service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issue in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment provision of Chhattisgarh Public Service Commission (Reservation for Scheduled Cast, Scheduled Tribes, Other Backward Classes) Act 1994 and direction issued from time to time by General Administration Department shall apply.

7. **Appointment to the Service—**All appointment to the service after the commencement of these Rules, shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule 6.

8. **Condition regarding eligibility of candidate for direct recruitment** :—In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(1) **Age—**

(a) He must have attained the age prescribed in collumn (3) of the Schedule-III and not attained the age in coloumn (4) of the said Schedule, on the first day of January next following the date of commencement of selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Schedule Tribes. The upper age limit of women candidates shall be relaxable by 10 years over maximum age limit on all posts of direct recruitment. Whereas, widow, desérted, divorce women candidate shall be given 5 years additional relaxation over general age limit.

(c) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidate who are or have been employee of the Chhattisgarh Government to the extent and subject ot the condition specified below :—

(i) A candidate who is a permanent/temporary Government servant and applying for another post should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charge employee and employees working in the project implementation committees.

(iii) A candidate, who is retrenched Government servant shall be allowed do deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him up to maximum limit of 7 years even it represents more than one spell, provided that the

resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation :—The terms "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this state or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Goverment Service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation :—The term, ex-serviceman denotes a person who belongs to any of the following categoreis and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was declared surplus or as retrenched a result of the recommendation of Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service :—

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions.

(2) Ex-serviceman enrolled again and discharged on-

(a) Completion of short term engage.

(b) Fulfilling the condition of enrollment.

(3) Officer (Military and Civil) including short service Regular Commissioned Officers discharged on completion of their contract.

(4) Officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(5) Ex-serviceman separated from service on being disable.

(6) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun shot wounds etc.

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(v) The upper age limit shall also be relaxable up to 2 years in respect of Green Card holder candidates under the family welfare programme.

(vi) The general upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of Savarna Partner of awarded couple under the inter caste marriage incentive scheme "Chhattisgarh inter caste marriage promotional scheme for untouchability irredication, rule 1984" (Chhattisgarh Asprashyata Nivaran Anterjatiya Vivah Protshahan Yojna Niyam, 1984) for Tribal, Hari;an and Backward Classes, Welfare Department.

(vii) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of Shahid Rajiv Pandey Award, Gundadhur Samman, Maharaja Pravirchandra Bhanjdev Samman & National Youth Award holder young candidates.

(viii) Home guards and non Commissioned officers shall be given relaxation in general upper age limit equal to the complete years of service completed by them in Nagar

Sena. The limit of aforesaid relaxation shall be 8 years, means after giving such relaxation the age of related home guard/non Commissioned officer should not be more than 38 years.

(ix) The employees of Chhattisgarh State Corporation/Board shall be given relaxation up to 38 years in maximum age limit.

(x) Apart from all these directives issued from time to time regarding relaxation in age limit by General Administration Department will be applicable.

Notes :- Candidates who are admitted to the selection under the age relaxation mentioned in Rule (8) (c) (i) and (ii) will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after the selection. They will however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In any other matter those age limits shall not be relaxed the departmental candidates must obtain the prior permission of the appointing authority for appearing in the examination.

(2) **Educational Qualification** :— He must possess such prescribed educational qualification for the Service as shown in schedule III.

(3) **Fees :**—He must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualification**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held a disqualification by the Commission for his selection.

10. **Commission's decision about the eligibility of the candidate shall be final**— The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.

11. **Direct Recruitment by selection**—

(1) The competitive examination selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government. May in consultation with the Commission from time to time, determine.

(2) The selection of candidates for the service shall be made by the Commission after interviewing them.

(3) 15 percent and 18 percent and 14 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes respectively. Chhattisgarh Public Services (Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Classes) Act, 1994

(4). In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their name appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Schedules Castes and Scheduled Tribes considered by the Commission to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (3).

(6) In direct appointments, 30% post shall be reserved for woman candidates.

(7) In direct appointments, 6% posts shall be reserved for disabled candidates on horizontal basis.

(8) **Where, for the posts to be filled by direct recruitment, the experience of any time period is prescribed as mandatory condition and in the opinion of public service commission or any competent authority it is fund that there is no possibility of availability of candidates of scheduled castes, scheduled tribes**

and other balckward classes, having disirable experience for recruitment on the reserved posts. in sufficient numbers, there public service commission are competent authority could relax the condition of experience in respect of candidates of scheduled castes, scheduled tribes/other backward classes.

12. **List of the candidates recommended by the commission—**

(1) The commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by standards determined by the Commission and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who though not qualified by that standard are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The fist shall also be published for information of general people.

(2) Subject to the provision of these Rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Condition of Service) Rules 1961, candidates shall be appointed to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Appointment by Promotion—**

(1) A committee shall be constituted for selection of eligible candidates for promotion. which shall consist of members mentioned in scheduled IV, enclosed with the same. At least one member of the Committee shall be of Scheduled Caste or Scheduled Tribes and in case if is not so, one member shall be included from Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

(2) The committee shall meet at intervals, ordinarily not exceeding one year.

(3) The promotion on the posts of Class I and Class II to be filled by promotion under. Chhattisgarh. Public Services (Promotion) Rules, 2003 shall be according to Model Roster.

(4) The procedure for making promotion on reserved vacancies shall be in accordance with the instruction issued by the Government, General Administration Department from time to time.

14. **Condition regarding eligiblity for promotion—**

(1) The committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of the year had completed such number of years of service, whether officiating of substantive on the post from which promotion is to made, as specified in column (4) of schedule IV.

Explanation :- Method to complete eligibility for promotion :— The related year, in which the Departmental Promotion Committee is convened on its first January the period of qualifying service shall be calculated from that calendar year in which the public servant has come in the pay scale of feeder cadre/part of service/post and not from the date of coming in the pay scale of feeder cadre service/part of service/post.

(2) In respect of promotion, the provision of Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules, 2003 shall apply.

(3) (a) In such cases where promotion is to be made on Seniority cum fitness basis or on the basis of seniority dropping the ineligible person, there, for all the categories there shall not be any area for consideration. Only in such numbers the matter of public servants be considered as per seniority which shall be present under each cadre and shall be sufficient to fill the vacancies expected on account of retirement in one year.

(b) Besides the expected vacancies of sub rule (3) (a) to fill the unexpected vacancies of the aforementioned period, with the object to include the name of two public servants or 25% of the numbers of the public servants included in selection list. which ever in more, the name of public servants shall be considered in numbers desired for each cadre.

(4) Promotion shall be made as per the reservation roster prescribed by Government for promotion.

15. **Preparation of list of suitable officers—**

(1) The committee shall prepare the select list of such persons who satisfy the conditions prescribed in above rule 14 and who are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserved list consisting of twenty five percent of the number of the persons included in the select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies during the course of the aforesaid period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provisions of Chhattisgarh Public Service Promotion Rule, 2003.

(3) The list thus prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection review or revision it is proposed to supersede any member of the lower service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Select list—**

(1) Commission shall consider the select list prepared by the Committee and received along with other documents from Government and approve it if no change is required therein.

(2) If Commission finds any change required in the list received from the Government, then it shall inform the Government about proposed changes and if Government shows any opinion thereon, then paying attention to the same, with such amendments, if any which are just and suitable in its opinion shall finally approve the list.

(3) The list as finally approved by the Commission shall from the select list for the promotion of the member of service from the post shown in column (2) of Schedule IV to the post shown in column (3) of Schedule IV.

(4) The select list shall ordinarily be enforced until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) or rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation: Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the selection list, a special review of the Government and the Commission may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Consultancy with Commission—**

(1) The list prepared as per Rule 15 shall be sent by Government to Commission alongwith the following :—

(i) Records of all the persons included in list,

(ii) Records of all those members of service (shown in column 2 of Schedule IV) who are proposed to be superseded as per the recommendations made in the list.

(iii) Reasons recorded by the committee in respect of proposed subersession of any member of service (Shown in column 2 of Schedule IV)

(2) If in the meeting of Promotion Committee Chairman of Commission or member of commission in the form of chairman, being nominated by Chairman/Commission is present and the proceeding of meeting bears the signature of approval of Chairman of the Committee alongwith all its members, then the aforementioned proceeding under sub-rule (1) is not compulsory.

18. **Appointment to the Service from the select list—**

(1) Appointments of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Department Promotion Committee before appointment of a person whose name is included in the select list of the service unless during the period, intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. **Probation**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation**—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation**— Nothing in these rules shall be constructed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt in any manner less favourable to him that provided in those rules.

22. **Saving**— Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in accordance with the order issued by the State Government in this respect from time to time.

23. **Repeal and Saving**— All rules corresponding to these rules and inforce immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VINOD GUPTA, Special Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule 5)

Name of posts included in the service	Number of Posts	Classification No.	Pay Scale	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C. G. Firms and Societies Gazetted Service				
1. Registrar	1	Class I	Rs. 12000-375-16500	
2. Deputy Registrar	1	do	Rs. 10000-325-15200	
3. Assistant Registrar	3	Class II	Rs. 8000-275-13500	

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

METHOD OF RECRUITMENT

Name of Department	Name of Service	Total Number of Posts	Percentage of the number of posts to be filled		By Transfer of persons from other services
			By direct Recruitment	By promotion of the substantive numbers of service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Commerce and Industries	Class I C. G. Firms and Societies Gazetted Service				
	Class I				
	(1) Registrar	1	Nil	100 Percent	Promotion/ Deputation on Cadre Payscale.
	(2) Deputy Registrar	1	Nil	100 Percent	Nil
	Class II				
	(1) Assistant Registrar	3	Nil	100 Percent	Promotion is mentioned in the setup.

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

Name of the Department (1)	Name of the Service (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed Educational Qualifications (5)	Remarks (6)
Commerce and Industries.	C. G. Firms and Societies Gazetted Officer Service. **Class II**				
	Assistant Registrar	21 years	30 years	Includes Degree in Arts/ Science/Technology/ Engineering from the recognized University. Bachelors degree in Commerce or Agriculture in second class.	

SCHEDULE-IV
(See Rule 14)

Name of the Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Service period for promotion	Name of member of the Department Promotion Committee (See Rule 13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Commerce and Industries	Firms and Societies Gazetted Service			
	Class-I			
	Deputy Registrar	Registrar	Five years	1. Chief Secretary-Chairman. 2. Senior Most Secretary to Government of Chhattisgarh-Member. 3. Secretary of Special Secretary of concerned Department-Member. Deputy Secretary of the concerned Department-Member.
	Class-II			
	1. Assistant Registrar	Deputy Registrar	Five Years	1. Chairman of the Public Service Commission or of the Commission nominated by him-Chairman.
	2. Inspector	Assistant Registrar	Five Years	2. Secretary of the concerned Department-Member. 3. Concerned Head of Department-Member.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.